स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मुख्यमंत्री शहरी आवास मिशन

हम सबका सपना घर हो अपना
अब हर जन खुश होगा

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास

RERA पंजीकरण संख्या
P-GUN-20-2508

निम्न आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार फ्री होल्ड आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना
नगर पालिका परिषद, गुना (म.प्र.)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, गुना

प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 (सबके लिए आवास - प्रथम चरण) के अंतर्गत
LIG / MIG आवास के पंजीयन हेतु - (प्रथम आओ-प्रथम पाओ)

आवेदन पत्र

आवेदन क्र. ....
आवेदन पत्र का मूल्य (जी.एस.टी. सहित) रुपये 1100/-
अहस्तान्तरणीय (No Transferable)

आवेदक का फोटो पति	आवेदक का फोटो पत्नी

प्रति,
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद, गुना (म.प्र.)

महोदय,

निवेदन है कि विज्ञापन क्र. **1065** दिनांक **19.03.2020** के अंतर्गत मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 के अंतर्गत स्थल **जगनपुर (पत्रकार कॉलोनी के समीप) कॉलोनी, गुना** पर LIG / MIG आवासीय इकाई हेतु निर्धारित शर्तो पर पंजीयन / आवंटन करने का कष्ट करें।

1. पूरा नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. पति/पत्नी का नाम : ....
4. वर्तमान पता और सम्पर्क ब्यौरा : ....
   (अ) मकान/फ्लैट नं. : ....
   (ब) गली का नाम : ....
   (स) शहर का नाम : ....
   (द) मोबाईल नंबर : ....
   (क) दूरभाष क्रमांक : ....
5. स्थाई पता : ....
   (अ) मकान/फ्लैट नंबर : ....

(ब) गली का नाम : ....

(स) शहर का नाम : ....

(द) जिला एवं राज्य : ....

6. मौजूदा मकान या मालिकाना ब्यौरा: ....

(स्वामित्व / किराया / अन्य) : ....

7. धर्म : ....

जाति (सामान्य/अजा/अजजा/अन्य)..

8. क्या विकलांग है (हाँ/नहीं) : ....

प्रमाण पत्र संलग्न करें।

9. वैवाहिक स्थिति : ....

(विवाहित/अविवाहित/एक महिला/विधवा)

10. क्या परिवार के पास भारत में कहीं : ....

भी अपना मकान/रहवासी भूमि है (हाँ/नहीं)

यदि हाँ तो ब्यौरा देवें।

(बस्ती / शहर / राज्य का नाम)

11. वर्गमीटर में भूखण्ड का ब्यौरा : ....

12. रोजगार की स्थिति : ....

शासकीय / प्राइवेट (स्व-रोजगार/वेतनभोगी/नियमित मजदूरी)

/मजदूर/अन्य (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. यदि नियोजित हो तो नियोजक का नाम ....

(If employed name of the employer)

14. सेवा की अवधि (Duration of service) : ....

15. यदि निजी व्यवसाय में है, तो उसका ब्यौरा : ....

दूरभाष क्र. (निवास) .... (कार्यालय) .... मोबाइल नं...........................

ई-मेल ....

16. परिवार की औसत मासिक आय (रूपये) :

17. परिवार के सदस्यों की संख्या और आयु

क्र.	परिवार के सदस्यों के नाम	परिवार के मुखिया के संबंध	आधार क्रमांक	लिंग	आयु
1					
2					
3					
4					
5					
6					

(सभी सदस्यों के फोटोग्राफ परिशिष्ट एक पर लगावें)

18. मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि यदि मेरा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं फ्लेट की बकाया राशि निर्धारित समय अवधि में करा दूंगा/दूंगी। मैं आश्वासन देता/देती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जो भी नियम निर्देश जारी किए जावेंगे उसका मैं पालन करूंगा/करूंगी।

19. आवेदन पत्र के अंतर्गत दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि कोई जानकारी भविष्य में गलत पाई जाती है तो मेरा आंवटन रद्द करने का अधिकार नगर पालिका के पास सुरक्षित रहेगा।

20. फ्लैट के आंवटन के संबंध में निर्धारित शर्ते मुझे स्वीकार हैं।

अनुलग्नक :

1. अनुबंध राशि हेतु रुपये .... लाख का .... बैंक की ....(शाखा) से मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद गुना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक क्र. .... दिनांक 2020
2. आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति
3. नोटरी प्रमाणिकृत शपथ पत्र
4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि (यदि आवश्यक हो)
5. आधार कार्ड की छायाप्रति
6. बैंक पासबुक की प्रति
7. पेनकार्ड की प्रति
8. आयकर का विवरण

शपथ-पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास)
LIG/MIG
के भवन प्राप्त करने हेतु शपथ पत्र

1. मैं शपथपूर्वक निम्नानुसार कथन करता/करती हूँ

   मेरा नाम : ....

   पिता का नाम : ....

   पति/पत्नी का नाम : ....

   आयु : ....

   निवासी : ....

   आधार कार्ड नम्बर : ....

   जाति : ....

   व्यवसाय : ....

   परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय रुपये : ....
2. यह कि मैने आवंटन की शर्तों को भली-भांति समझ लिया है जो कि मुझे पूर्णत: स्वीकार हैं।
3. आवेदन पत्र के अंतर्गत दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो आवंटन निरस्त करने का अधिकार परिषद के पास सुरक्षित रहेगा।
4. यह कि, शासन के नियम व शर्तो का पालन तथा शेष राशि जमा नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने के अलावा नियमानुसार कार्यवाही करने का परिषद को अधिकार होगा।
5. यह कि, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं शासन के अन्य आवासीय योजनाओं के अंतर्गत मैं तथा मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।
6. उक्त शपथ-पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट क्रय करने हेतु प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर

दिनांक ....

....

सत्यापन

मैं ....पिता / पति श्री ....

सत्यापित करता हूँ / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई उपरोक्त सूचना व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें कोई भी जानकारी न तो असत्य है और न इसे छिपाया गया है जो आज दिनांक .... को सत्यापित किया गया।

शपथगृहिता के हस्ताक्षर

दिनांक ....

....

नोट : कोई भी विषय वस्तु जो लागू न हो तथा आवश्यक न हो, उसे काट दिया जावे।

नगर पालिका परिषद गुना (म.प्र.)

नियत दर से पूर्ण - स्वामित्व (Free Hold) अधिकार पर लॉटरी प्रणाली द्वारा सम्पत्तियों के व्ययन संबंधी निबन्धन तथा शर्तें

(Terms and Condition for free Hold disposal of properties on Fixed Rate)

सामान्य शर्तें (General Terms)

1. यह कि, इस योजना के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाईयां (मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राही को छोड़कर) कंडिका परिषद (अचल संपत्ति का अंतरण) नियम 2016 के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटित की जायेगी।
2. यह कि, इकाई प्राप्त करने के लिए परिवार (एक परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और / अथवा / अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगे) जिनके नाम पर निकाय में स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम अचल संपत्ति नहीं होना चाहिए इस संबंध में निर्धारित शपथ पत्र नोटरी के द्वारा सत्यापित कर देना होगा। आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत न करने वाले को आवंटन की पात्रता नहीं होगी।
3. यह कि, प्राप्त आवेदनों की आवासीय इकाईयों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा।
4. यह कि, यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता हो तो उस दशा में उसे इस बारे में निकाय को लिखित में सूचना उपलब्ध करानी होगी।
5. यह कि, आवेदन के साथ निर्धारित पंजीयन राशि जमा कराई जायेगी।
6. यह कि, आवास हेतु राशि निम्नानुसार जमा कराई जायेगी जिसकी सूचना समय-समय पर दी जायेगी।

क्र.	विवरण	जमा की जाने वाली राशि
1	पंजीयन राशि	10%
2	पंजीयन होने के एक माह के अंदर	20%
3	25 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर	20%
4	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर	20%
5	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर	20%
6	आधिपत्य के समय	10%

7. आवासीय इकाईयों का पंजीयन विज्ञापन से प्रदर्शित आवास संख्या 10 प्रतिशत सूची तक किया जायेगा।
8. यह कि,आवेदन की सम्पत्ति का मूल्य विज्ञापन में प्रकाशित निर्धारित शर्तों के अधीन जमा करना होगा। जिसके संबंध में आवंटन आदेश में भी उल्लेख किया जावेगा।
9. यह कि, आवंटन आदेश में अंकित समय सीमा में कोई राशि जमा न करने पर आवंटन निरस्त कर नियमानुसार पंजीयन राशि जप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। आवंटन पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो आवंटित सम्पत्ति की पूर्ण बकाया राशि मय ब्याज तथा अर्थ दण्ड के साथ डी.डी. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद गुना द्वारा स्वीकृति उपरांत ही आवंटन पुनर्जीवित किया जावेगा। आवंटन पुनर्जीवित किया जावे अथवा नहीं किया जावे इसका पूर्ण अधिकार नगर पालिका परिषद् गुना को होगा।
10. यह कि, निर्धारित तिथि के पश्चात विलंब से जमा की गई राशि पर नियमानुसार प्रचलित दर 11 प्रतिशत से ब्याज देय होगा।

11. यह कि, सामान्यत: कोई भी भुगतान बैंक ड्राफ्ट जो निकाय के नाम से देय होगा, स्वीकार किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित पंजीयन राशि केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जावेगी किसी भी परिस्थिति में पंजीयन हेतु चैक/नगद स्वीकृत नहीं होंगे।

12. यह कि, योजना का विकास अथवा निर्माण कार्य संबंधित निकाय अपने निर्धारित समयानुसार करेगा। निर्माण कार्य में विलंब होने पर निर्धारित समय अनुसार शीघ्रता से कार्य करने का प्रयास करेगा। परन्तु विकास कार्य के आधार पर आवंटी को भुगतान रोकने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस बावत कोई वाद मान्य नहीं होगा।

13. यह कि, विज्ञापन अवधि के भीतर किसी पंजीयनकर्ता द्वारा पंजीयन किये जाने के बाद लॉटरी/आवंटन सुनिश्चित होने के पूर्व कोई पंजीयनकर्ता अपनी राशि वापस चाहता है तो पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत कटौत्रा कर शेष राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

14. यह कि, पंजीयन उपरान्त लॉटरी से आवास क्रमांक का आवंटन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात यदि आवेदन अपनी धरोहर राशि निर्धारित दिनांक से पूर्व वापिस चाहते हैं तो आवेदनकर्ता की जमा धरोहर राशि में 15 प्रतिशत काट कर शेष राशि बिना ब्याज के वापस की जावेगी।

15. पंजीयन उपरांत प्रथम किश्त की तिथि उपरान्त यदि कोई आवंटी पंजीयन निरस्त करता है तो पूर्ण राशि राजसात कर ली जावेगी ।

16. यह कि, आवंटी की मृत्यु होने पर समस्त दावेदारों / उत्तराधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र पर सहमति देने उपरान्त अथवा विधि अनुसार वैद्य वारिसों के नाम नामांतरण हो सकेगा। इसमें विभाग द्वारा किये गये विज्ञापन व्यय तथा अन्य शुल्क का भुगतान उत्तराधिकारी द्वारा जमा किया जावेगा।

17. यह कि, सम्पत्ति अधिनियम के अनुसार योजना में सम्पत्ति आवंटित स्वामियों को योजना के रख-रखाव हेतु समिति का गठन करना होगा। इस हेतु पट्टा निष्पादन के पूर्व निर्धारित समिति शुल्क जमा करना होगा। जिसमें आगामी वर्षो का रख-रखाव होगा। शेष राशि यदि कोई हो तो समिति को दी जावेगी।

18. यह कि, किसी प्रकार के वाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र संबंधित निकाय के क्षेत्र का सक्षम न्यायालय रहेगा।

19. प्रस्तावित आवासीय इकाइयों में भूतल पर केवल पार्किंग का प्रावधान रहेगा।

20. यह कि, भवन पूर्णत: आवासीय उद्देश्य के लिए है। भवन का कोई भी अन्य उपयोग अनुबंध का उल्लंघन समझा जायेगा।

21. यह कि, आवंटित भवन एवं उसके परिसर का आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने, बाहरी विद्युत, स्वच्छता, पानी आदि व्यवस्था के परिवर्धन/परिवर्तन करते समय निरीक्षण का पूर्ण अधिकार न.पा.प. गुना को होगा।

22. यह कि, पंजीयन संबंधित जारी विज्ञप्ति आवेदन में उल्लेखित प्रतिबंध एवं शर्तें आवंटिती पर बंधनकारक होगी।

23. यह कि, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न.पा.परिषद गुना का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

24. यह कि, इकाई प्राप्त करने के लिए पंजीयन हेतु निर्धारित राशि का अकाउंट पेई डीडी जो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गुना के नाम देय होगा, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

25. यह कि, आवंटी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर आवास आवंटित किया जा रहा है यदि भविष्य में परीक्षण उपरांत दस्तावेज असत्य/फर्जी पाये गये तो आवास आवंटन निरस्त करने के साथ आवेदकों के विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

26. यह कि, आधिपत्य के उपरांत इकाई का रखरखाव तथा पानी, बिजली कनेक्शन आदि आवंटिती को स्वयं के व्यय से लेना होगा तथा चार्जेस जलकर इत्यादि आरोपित कर का भुगतान आवेदक को करना होगा।

27. यह कि, जहाँ ''परिषद'' शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ नगर पालिका परिषद उत्तराधिकारी का भी समावेश होगा। इसी प्रकार ''आवंटिती'' शब्द में उसका उत्तराधिकारी का समावेश है ऐसा माना जावेगा।

28. यह कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जो भी नियम/आदेश जारी किये गये हैं तथा भविष्य में समय-समय पर जो भी नियम / आदेश जारी किये जायेंगे उनका पालन आवंटिती को करना होगा।

29. यह कि, आवंटिती को केन्द्रीय, राज्य, नगर पालिका परिषद के कर आदि जो भी देय होंगे, स्वयं भुगतान करना होगा।

30. यह कि, किसी भी कारण से आवंटन निरस्त होने पर भवन का रिक्त आधिपत्य शांतिपूर्ण तरीके से मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद को सपुर्द कर दिया जाएगा।

31. यह कि, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से विद्युत संयोजन प्राप्त करने, जल प्रदाय करने हेतु कनेक्शन लेना तथा देख-रेख के भार का उत्तरदायित्व भी आवंटिती का होगा।

32. यह कि, उपरोक्त शर्तो में किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवंटन निरस्त किया जाकर इकाई से बेदखल करने के लिए परिषद स्वतंत्र रहेगा।

33. अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

यह कि, उपरोक्त शर्ते मुझे स्वीकार हैं।

आवेदक के हस्ताक्षर

गुना, दिनांक

....

परिशिष्ट-एक

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास-प्रथम चरण)

1. आवेदक का नाम ....

LIG / MIG के भवन प्राप्त करने हेतु परिवार के सदस्यों के फोटोग्राफ

नाम **फोटोग्राफ**	**नाम** **फोटोग्राफ**

नाम **फोटोग्राफ**	**नाम** **फोटोग्राफ**

नाम **फोटोग्राफ**	**नाम** **फोटोग्राफ**

नगर पालिका परिषद, गुना (म.प्र.)

पावती रसीद

क्रमांक   दिनांक.................

श्री/श्रीमती ....पिता/पति श्री ....

पता ....

को आवेदन क्रमांक .... दिनांक ....

स्थान जगनपुर (पत्रकार कॉलोनी के समीप) कॉलोनी, गुना में LIG / MIG आवास हेतु

दिनांक .... को ....

ड्राफ्ट क्रमांक .... रुपये .... का प्राप्त किया।

लिपिक
PMAY शाखा
नगर पलिका परिषद, गुना

- -

नगर पालिका परिषद, गुना (म.प्र.)

पावती रसीद

क्रमांक   दिनांक.................

श्री/श्रीमती ....पिता/पति श्री ....

पता ....

को आवेदन क्रमांक .... दिनांक ....

स्थान जगनपुर (पत्रकार कॉलोनी के समीप) कॉलोनी में LIG / MIG आवास हेतु

दिनांक .... को ....

ड्राफ्ट क्रमांक .... रुपये .... का प्राप्त किये।

लिपिक
PMAY शाखा
नगर पलिका परिषद, गुना